



प्रेस नोट

दिनांक- 03.11.2022

थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 नफर शातिर लुटेरों को घटना में प्रयुक्त कार एवं 01 अदद अवैध पिस्टल व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व लूट के सामान सहित किया गया गिरफ्तार !

पुलिस अधीक्षक महोदया कानपुर देहात द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण व वांछित/इनामियाँ अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर लूट करने वाले शातिर लुटेरों को घटना में प्रयुक्त कार व 01 अदद अवैध पिस्टल व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 01.11.2022 को वादी श्री विनोद कुमार मिश्र पुत्र स्व० राजकुमार मिश्र निवासी ग्राम पिण्डार्थू थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात ने तहरीर दी कि दिनांक 01.11.2022 को उनकी पत्नी से पिण्डार्थू पुलिया के पास लूट हुई जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 392/2022 धारा 392 भा०द०वि० बनाम 03 नामजद अभियुक्त पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 03.11.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर सिकन्दरा थाना क्षेत्र से नामजद अभियुक्त 1. राघवेन्द्र सिंह उर्फ मालिक पुत्र श्री भगवान सिंह सेंगर निवासी आजाद नगर थाना व कस्बा सिकन्दरा कानपुर देहात 2. नागेश बाबू पुत्र शिवसागर लाल निवासी इटखुदा थाना सिकन्दरा कानपुर देहात को लूट व अन्य चोरियों में प्रयुक्त कार नं० UP 77 Z 6436 व अभियुक्त राघवेन्द्र उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस एवं अभियुक्त नागेश बाबू के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा अपने साथियों के साथ सूनसान जगह पर अपने लोगों को चिह्नित करते हैं फिर अपनी कार से उनके पास तक जाते हैं और एकाएक उनसे लूट कर लेते हैं। अभियुक्तगणों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बकरी चोरी भी करते थे। बकरी चोरी के लिये भी हम लोग अपने साथियों के साथ दिन में घूम घूम कर स्थान चिह्नित करने के बाद रात में समय देखकर बकरी चोरी करके हम लोग इसी वैगनार कार से भाग जाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. राघवेन्द्र सिंह उर्फ मालिक पुत्र श्री भगवान सिंह सेंगर निवासी आजाद नगर थाना व कस्बा सिकन्दरा का0दे0

2. नागेश बाबू पुत्र शिवसागर लाल निवासी इटखुदा थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

बरामदगी-

1. लूट की हुई लाकेट/पैडल (पीली धातु)

2. घटना में प्रयुक्त वैगनार कार

3. 02 अदद अवैध तमंचा

4. चोरी की बकरी बेचने का पैसा

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 239/2022 धारा 379/411भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

2. मु0अ0सं0- 240/2022 धारा 392/411भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

3. मु0अ0सं0- 244/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा का0दे0 (अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह)

4. मु0अ0सं0- 245/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा का0दे0 (अभियुक्त नागेश बाबू)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री विजय सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।

2. व0उ0नि0 श्री धीरेन्द्र सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

3. म0उ0नि0 मनु थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

4. उ0नि0 मोहित वर्मा थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

5. का0 1197 रणजीत सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

6. का0 1124 अनिल सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

7. का0 835 राजवीर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।